

20.03.2023 पत्रावली पेश हुई। जिला अभिभाषक
संस्था, भीलवाड़ा द्वारा न्यायिक कार्य
स्थापित रखा गया है। अतः पत्रावली
आयन्दा कार्यवाही के लिये दिनांक
11.04.2023 को पेश हो।

शेडर

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

11.04.2023 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपरिथित
पीठारीन अधिकारी जी. अन्य राजकार्य में व्यस्त
है। अतः पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के
लिए दिनांक 06.06.2023 को पेश हो।

शेडर

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

06.06.2023 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपरिथित
पीठारीन अधिकारी जी. अन्य राजकार्य में व्यस्त
है। अतः पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के
लिए दिनांक 13.06.2023 को पेश हो।

शेडर

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

13.06.2023 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपरिथित
पीठारीन अधिकारी जी. अन्य राजकार्य में व्यस्त
है। अतः पत्रावली आयन्दा कार्यवाही के
लिए दिनांक 27.06.2023 को पेश हो।

शेडर

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

20.03.2023 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उम.। गैर निगर. सं. 1 व 2 की ओर
से जवाब पेश किया गया जिसकी नकल निगराकार अधिवक्ता को
दिलवाई जाकर शामिल पत्रावली किया गया। गैर निगराकार अधिवक्ता
द्वारा न्यायालय के समक्ष निवेदन किया गया कि निगराकार द्वारा दो
भिन्न-भिन्न मट्टों के विरुद्ध एक ही निगरानी पेश की है जो नियमानुसार
सही नहीं होने से खारिज योग्य है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया
जिससे जाहिर आया कि निगराकार द्वारा इस प्रकार में प्रां. सं. थला
द्वारा जारी मट्ट सं. 11 एवं 12 के विरुद्ध इस न्यायालय में एक ही निगरानी
पेश की हुई है। अतः निगराकार की यह निगरानी प्रा.पत्र रसी स्तर पर
खारिज किया जाता है। निगराकार प्रा.पं. थला द्वारा जारी अलग-अलग
मट्टों के विरुद्ध इस न्यायालय में अलग-अलग निगरानी पेश करने
के लिये स्वतंत्र है। इस हेतु तत्समय पेश करने कि दिनांक से समय को कटौत
किया जाता है। प्रकरण नंबर से कम हो।